न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
141/2019	18.11.2019	29.8.25

भरोसी पुत्र मांगीलाल उर्फ मांगेराम, बैरवा नि.छाहरा तह.गंगापुरसिटी ——वादी

बनाम

1. कमल पुत्र रामसहाय, बैरवा निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
2. गजानन्द पुत्र रामसहाय , बैरवा निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
3. गीता पत्नि कमल, बैरवा निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
4. बाबूलाल पुत्र मूलचन्द, बैरवा निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी जरिए प्रबन्धक
6. तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री संतोष कुमार वर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री रामदयाल त्रिवेदी, एडवोकेट, प्रति0 नं0 1, 3 की ओर से
श्री दामोदर गर्ग, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 5 की ओर से

निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की सहखातेदारी की भूमि ख0नं0 518 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 519 रकबा 1.36 है0 ग्राम चूली में है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 झगडालू किस्म के व्यक्ति हैं एवं वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते रहते हैं। दिनांक 11.11.2019 को वादी अपने खेत पर फसल काश्त करने हेतु जुताई करवाने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 आये और वादी के खेत की डौल मेड तोडने लगे। वादी ने मना किया तो वादी को धमकी देने लगे कि हम लोग वादी के खेत में डौल मेड को हटा कर वादी के खेत को अपने खेत में मिला लेंगे। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 518 रकबा 0.04 है0 एवं ख0नं0 519 रकबा 1.36 है0 का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अपने अपने हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे किवे वादी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा नहीं करे तथा वादी के खेत की डौल मेड को नहीं तोडे ना ही किसी दीगर व्यक्तियों से तुडवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:44 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0) सत्यमेव जयते

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2, 4, 6 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि दिनांक 11.11.2019 को या अन्य किसी भी दिन जबाबदारान ने कोई डौलमेड नहीं तोडी है। मौके पर डौलमेड सही प्रकार से बनी हुई है। जबाबदारान वादी के कब्जे काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। मौके पर पूर्व की भांति डौलमेड यथावत बनी हुई है फिर भी यदि वादी भूमि का बंटवारा चाह रहा है तो जबाबदारान को कोई आपत्ति नहीं है। अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है कि जबाबदारान की हद तक दावा वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 5 ने अपने जबाब दावे में अंकित किया है कि वादी भरोसी द्वारा अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि स्थित ग्राम चूली में उसके हिस्सा 1/2 की भूमि मिन जबाबदार बैंक के हक में रहन रखकर किसान क्रेडिट कार्ड के लिए ऋण लिया है जो अब तक नहीं चुकाया है। इस कारण उसके हिस्से की भूमि मिनजबाबदार बैंक के यहां रेवेन्यू रिकार्ड में रहन दर्ज है। इस जमीन का कोई बंटवारा पूर्व में नहीं हुआ है। यह दावा वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 से आपस में साज कर बैंक की बकाया राशि अदा न करने की गरज से गलत तथ्यों पर किया है। वादी जब तक बैंक की ऋण राशि अदा नहीं कर देता है तब तक दावे में बंटवारे की रिलीफ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। वादी बैंक का बिलफुल डिफाल्टर है। अतः वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई–

1. आया भूमि ख0नं0 518 रकबा 0.04 है0, ख0नं0 519 रकबा 1.36 है0 ग्राम चूली वादी व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। ——वादी

2. आया दिनांक 11.11.2019 को वादी अपने खेत पर फसल काश्त करने गया तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वादी को खेत की डौलमेड तोडने की धमकी दी। ——वादी

3. आया वादी वादग्रस्त भूमि का मीटर्स एण्ड बाउण्डस से हिस्से अनुसार विभाजन करवाने, पृथक से भूमि अपने नाम करवाने व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अधिकारी है। ——वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.[illegible].03 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 द्वारा वादी को कोई धमकी नहीं दी है तथा मौके पर पूर्व की भांति मौखिक बंटवारा अनुसार ही पक्षकारान काश्त करते चले आ रहे हैं। ——प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

5. आया वादी द्वारा बैंक से के0सी0सी0 प्राप्त की हुई है। के0सी0सी0 जमा कराए बिना वादी विभाजन कराने का अधिकारी नहीं है।——प्रतिवादी संख्या 5

6. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 ग्राम चूली प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषगण ने प्रस्तुत मामले में कोई साक्ष्य नहीं करवा कर दावे में पक्षकारों के नाम दर्ज भूमि की मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन स्कीम मंगवाने का निवेदन किया जिस पर वादी का वाद दिनांक 11.2.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से पत्रांक/विभाजन स्कीम/2025/99 दिनांक 9.7.2025 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई जो पत्रावली में संलग्न है।

विभाजन स्कीम पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन करने पर अपनी सहमति दी है। फलस्वरूप तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा दिनांक 25.6.2025 को तैयार की गई विभाजन स्कीम, जो दिनांक 11.7.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त हुई है, के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 519 रकबा 1.36 है0, ख0नं0 518 रकबा 0.04 है0 ग्राम चूली का पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. वादी भरोसीलाल पुत्र मांगीलाल, बैरवा निवासी छाहरा राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी की खातेदारी में भूमि ख0नं0 519/3 रकबा 0.68 है0 ग्राम चूली रहेगी।
2. प्रतिवादी गीता पत्नि कमल, बैरवा निवासी छाहरा की खातेदारी में भूमि ख0नं0 519/2 रकबा 0.51 है0 ग्राम चूली रहेगी।
3. प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र मूलचन्द, चमार निवासी रानोली की खातेदारी में भूमि ख0नं0 519/1 रकबा 0.17 है0 ग्राम चूली रहेगी।
4. वादी भरोसीलाल पुत्र मांगीलाल, बैरवा निवासी छाहरा हिस्सा 1/2 राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा गंगापुर सिटी, प्रतिवादी गीता

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

पत्नि कमल, बैरवा निवासी छाहरा हिस्सा 3/8, बाबूलाल पुत्र मूलचन्द, चमार निवासी रानोली हिस्सा 1/8 की खातेदारी में ख0नं0 518 रकबा 0.04 है0 गै0मु0चाह ग्राम चूली रहेगा।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी । पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:18:44 IST
Reason: SelfAttested